



मतदाता जानकारी पुस्तिका



HOLLY L. WOLCOTT, शहरी क्लर्क द्वारा संकलित



आम नगरपालिका चुनाव
मंगलवार, 5 नवंबर, 2024



चुनाव संबंधी जानकारीयों के लिए कृपया
1-888-873-1000 पर कॉल करें

सिटी ऑफ़ **Los Angeles** मतदाता जानकारी अंग्रेजी के साथ-साथ
निम्नलिखित भाषाओं में भी प्रदान करता है:

Այս բրոշյուրի հայերեն օրինակն ստանալու համար
զանգահարեք **1-800-994-VOTE (8683)** հեռախոսահամարով:

要索取本手册的中文版，
請致電 **1-800-994-VOTE (8683)**

برای تهیه‌ی نسخه‌ای از این جزوه به زبان فارسی، با شماره تلفن
1-800-994-VOTE (8683) تماس بگیرید

हिन्दी में इस पैम्फलेट की प्रति प्राप्त करने के लिए,
1-800-994-VOTE (8683) पर फोन करें

このパンフレットの日本語版をご希望の方は、
1-800-994-VOTE (8683)までお電話ください。

ដើម្បីទទួលបានឯកសារចែកចម្លងមួយច្បាប់ពីកូនសៀវភៅនេះជាភាសាខ្មែរ
សូមហៅទូរស័ព្ទលេខ **1-800-994-VOTE (8683)**

이 팜플릿을 한국어로 원하시면 다음 전화번호로
연락하십시오. **1-800-994-VOTE (8683)**

Для получения копии данной брошюры на русском
языке позвоните по номеру **1-800-994-VOTE (8683)**.

Para obtener una copia de este folleto en español,
llame al **1-800-994-VOTE (8683)**

Para makakuha ng kopya ng pamphlet na ito sa Tagalog,
tumawag sa **1-800-994-VOTE (8683)**

เพื่อขอสำเนาจลสารนี้ในภาษาไทย โปรดโทรศัพท์ติดต่อที่หมายเลข
1-800-994-VOTE (8683)

Muốn có một tập sách này bằng tiếng Việt, hãy gọi số
1-800-994-VOTE (8683)

विषय सूची

	पृष्ठ
मतपत्र सारांश.	3
<hr/>	
मतपत्र विधेयक, तर्क-वितर्क, और टेक्स्ट चार्टर संशोधन LL	4

मतदाता जानकारी

Los Angeles के काउंटी के रजिस्ट्रार-रिकॉर्डर/काउंटी क्लर्क, सिटी ऑफ़ Los Angeles नगरपालिका चुनाव के प्रशासक हैं।

इस पुस्तिका में केवल 5 नवंबर, 2024 के सामान्य नगरपालिका चुनाव के लिए शहर/LAUSD के मतपत्र उपाय की जानकारी है।

चुनाव से संबंधित जानकारी जैसे कि मतदान केंद्रों के बारे में जानने के लिए, कृपया LA काउंटी से (800) 815-2666 पर संपर्क करें या उनकी वेबसाइट www.lavote.gov पर जाएँ।



अगले पृष्ठों पर शहर के मतपत्र उपायों का सरलीकृत संस्करण शामिल है। इन उपायों का पूरा पाठ, अन्य जानकारी के साथ, मतपत्र सारांश के बाद मुद्रित किया जाता है (सामग्री तालिका पृष्ठ देखें)।



शीर्षक:

LOS ANGELES एकीकृत स्कूल ज़िले के लिए स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोग।

विषय:

क्या Los Angeles के एकीकृत स्कूल ज़िले में हर दस साल में शिक्षा बोर्ड की ज़िला सीमाओं को दोबारा बनाए जाने के लिए एक स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोग को स्थापित किए जाने के लिए शहरी चार्टर में संशोधन किया जाएगा?

स्थिति:

वर्तमान में शहरी चार्टर के अनुसार Los Angeles के एकीकृत स्कूल ज़िले (LAUSD) के शिक्षा बोर्ड (बोर्ड) की ज़िला सीमाओं की समीक्षा प्रत्येक दस वर्ष में एक सलाहकार आयोग द्वारा की जानी आवश्यक है, जो नगर परिषद को ज़िला सीमाओं में बदलावों के लिए सिफ़ारिश करता है। ज़िले की सीमा रेखाओं के बारे में अंतिम निर्णय परिषद और मेयर द्वारा लिए जाते हैं। शहर ने एक स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है जो ज़िले की सीमा-रेखाओं के बारे में बदलावों पर विचार करेगा और अंतिम निर्णय लेगा।

प्रस्ताव:

यह विधेयक निम्न के लिए एक स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोग स्थापित करने के लिए शहरी चार्टर में बदलाव करेगा:

- परिषद या मेयर की भागीदारी के बिना प्रत्येक दस साल की संघीय जनगणना के बाद LAUSD बोर्ड ज़िले की सीमा रेखाओं के बारे में अंतिम निर्णय लेने;
- चार्टर और शहर के अन्य कानून में निर्धारित किए गये अनुसार ज़िलों के पुनर्विभाजन के मानदंडों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करने;
- एक ऐसे निष्पक्ष तरीके से काम करना जिससे ज़िलों की पुनर्विभाजन प्रक्रिया की अखंडता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो;
- ज़िलों के पुनर्विभाजन के बारे में जनता को शिक्षित और सूचित करना;
- जनता की राय प्राप्त करना और उस पर विचार करना;
- ज़िलों की पुनर्विभाजन प्रक्रिया के बारे में शहर के अधिकारियों को सिफ़ारिशें प्रस्तुत करना; और
- शहर के कानून में निर्धारित किए गये अनुसार ज़िलों के पुनर्विभाजन संबंधी कार्य निष्पादित करना।

इस आयोग में 14 सदस्य और चार वैकल्पिक सदस्य शामिल होंगे।

स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोग के सदस्यों का चयन निर्वाचित अधिकारियों की भागीदारी के बिना किया जाएगा।

LAUSD का कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, आयुक्त, लॉबिस्ट, या कोई भी व्यक्ति जिसने शहरी कानून द्वारा निर्धारित किये अनुसार निर्वाचित LAUSD अधिकारी के राजनीतिक अभियान में योगदान दिया हो, इस आयोग में सेवा करने के योग्य नहीं होगा।

एक हाँ वोट का मतलब है:

आप चाहते हैं कि शहर को हर दस साल में LAUSD बोर्ड की ज़िला सीमाओं को दोबारा स्थापित करने के लिए एक स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोग की स्थापना करने की आवश्यकता हो।

एक नहीं वोट का मतलब है:

आप नहीं चाहते हैं कि शहर को हर दस साल में LAUSD बोर्ड की ज़िला सीमाओं को दोबारा स्थापित करने के लिए एक स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोग की स्थापना करने की आवश्यकता हो।

इस विधेयक का पूरा पाठ्य पृष्ठ 9 पर शुरू होता है।



क्या Los Angeles के एकीकृत स्कूल ज़िले में हर दस साल में शिक्षा बोर्ड की ज़िला सीमा-रेखाओं को दोबारा स्थापित करने के लिए एक स्वतंत्र पुनर्वितरण आयोग को स्थापित किए जाने के लिए शहरी चार्टर में संशोधन किया जाएगा?

निष्पक्ष सारांश

SHARON M. TSO, मुख्य विधायी विश्लेषक द्वारा

सिटी ऑफ़ Los Angeles (शहर) चार्टर (चार्टर) उस प्रक्रिया को स्थापित करता है जिसके तहत Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िले (LAUSD) के शिक्षा बोर्ड (बोर्ड) के ज़िले की सीमा-रेखाएँ हर दस साल में बनाई जाती हैं और संघीय जनगणना के बाद अध्यादेश द्वारा अपनाई जाती हैं। इसके बाद, उन बोर्ड ज़िला सीमा-रेखाओं का इस्तेमाल बोर्ड के सभी सदस्य के चुनावों, रीकॉल (अपने पद से हटाने) और बोर्ड के खाली पदों को भरने के लिए किया जाता है। मौजूदा समय में, एक नियुक्त सलाहकार आयोग पुनर्वितरण प्रक्रिया के दौरान परिषद को उन सीमा-रेखाओं में बदलावों के बारे में सिफ़ारिश करता है। ज़िले की सीमा-रेखाओं के बारे में अंतिम निर्णय परिषद और मेयर द्वारा लिए जाते हैं।

यह विधेयक चार्टर में संशोधन करेगा, जिसके तहत एक स्वतंत्र पुनर्वितरण आयोग (आयोग) की स्थापना करने की आवश्यकता होगी, जिसके पास प्रत्येक संघीय जनगणना के बाद हर दस वर्ष में बोर्ड की ज़िला सीमा-रेखाओं को अपनाने की शक्तियाँ, कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ होंगी। आयोग को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान, California के संविधान और संघीय मतदान अधिकार अधिनियम के अनुपालन में परिषद की ज़िला सीमा-रेखाएँ निर्धारित करने की आवश्यकता होगी, साथ ही चार्टर और अन्य शहरी कानून में निर्धारित किए गये पुनर्वितरण मानदंडों और प्रक्रिया का पालन करना होगा।

आयोग को निर्वाचित अधिकारियों की भागीदारी के बिना बोर्ड की ज़िला सीमा-रेखाओं के विकास में निष्पक्ष तरीके से काम करना होगा। अंतिम बोर्ड ज़िला सीमा-रेखाओं को केवल आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। आयोग जनता को पुनर्वितरण के बारे में शिक्षित और सूचित करेगा; सार्वजनिक बैठकें और सुनवाईयाँ आयोजित करेगा; जनता से सुझाव प्राप्त करेगा और उन पर विचार करेगा; पुनर्वितरण प्रक्रिया के संबंध में शहर को सिफ़ारिशें करेगा; और शहर के कानून द्वारा निर्धारित अन्य पुनर्वितरण संबंधी काम करेगा। आयोग का कोई भी सदस्य सार्वजनिक मीटिंग के बाहर ज़िलों के पुनर्वितरण मामलों पर किसी भी व्यक्ति या संगठन के साथ संचार करने से प्रतिबंधित होगा। आयोग, शहर के कानून के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को आयोग में भाग लेने की अनुमति दे सकता है।

आयोग का चयन निर्वाचित पदाधिकारियों की भागीदारी के बिना किया जाएगा और इसमें 14 सदस्य तथा चार वैकल्पिक सदस्य होंगे। आयोग की स्थापना प्रत्येक संघीय जनगणना के बाद हर दस वर्ष में की जाएगी और ज़ीरो पर समाप्त होने वाले प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल तक की जाएगी। आयोग के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल चयन होने की तारीख से शुरू होगा और अगले आयोग के प्रथम सदस्य के चयन पर समाप्त होगा। आयोग के सदस्यों की योग्यताओं और प्रतिबंधों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- चयन के समय कम से कम 18 वर्ष का होना और LAUSD का निवासी होना;



- व्यक्ति द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने से ठीक पहले कम से कम तीन वर्षों तक LAUSD में निवास किया गया होना;
- सहयोगात्मक कौशल, नागरिक सहभागिता में अनुभव और जटिल डेटा का विश्लेषण करने की क्षमता का प्रदर्शन करना;
- किसी व्यक्ति का पंजीकृत मतदाता होना या संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक होना आवश्यक नहीं है;
- वह व्यक्ति आवेदन सबमिट करने से कम से कम चार वर्ष पहले तक LAUSD का कर्मचारी या LAUSD आयुक्त नहीं हो सकता/ती है;
- वह व्यक्ति या उसके पति/पत्नी या परिवार जिलों के स्वतंत्र पुनर्वितरण आयोगों के लिए पात्रता आवश्यकताओं के संबंध में California चुनाव संहिता प्रावधानों में बताई गई पूर्व राजनीतिक लॉबिंग गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता/ती है;
- आयोग के सदस्य के लिए आर्थिक हितों और अन्य वित्तीय खुलासों का विवरण दाखिल करना आवश्यक है;
- आयोग में कार्यरत रहने के दौरान, वह व्यक्ति शिक्षा बोर्ड के किसी निर्वाचित अधिकारी या शिक्षा बोर्ड के निर्वाचित कार्यालय के लिए उम्मीदवार का समर्थन नहीं कर सकता/ती, उसके लिए काम नहीं कर सकता/ती, उसके लिए स्वयंसेवा नहीं कर सकता/ती, या अभियान में योगदान नहीं कर सकता/ती, या किसी अन्य सरकारी संस्था के लिए जिलों के पुनर्वितरण आयोग में कार्यरत नहीं हो सकता/ती;
- किसी आयुक्त को पद पर रहते हुए कर्तव्य की उपेक्षा करने या अन्य कदाचार के लिए आयोग के दो-तिहाई मतदान से हटाया जा सकता है, जिसके विरुद्ध शहर के नैतिकता आयोग में अपील की जा सकती है; और
- शहर का क्लर्क आयोग की आवेदन प्रक्रिया का प्रबंधन करेगा, और शहर के नैतिकता आयोग की निगरानी करेगा।

अगर मतदाताओं के बहुमत से इसे मंजूरी मिल जाती है तो यह चार्टर संशोधन प्रभावी हो जाएगा।

वित्तीय प्रभाव का विवरण **MATTHEW W. SZABO, शहर के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा**

यह विधेयक प्रत्येक दस वर्ष में Los Angeles एकीकृत स्कूल जिले (LAUSD) के लिए 14-सदस्यों वाले एक स्वतंत्र पुनर्वितरण आयोग की स्थापना करता है। आयुक्त का मुआवजा अध्यादेश द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जिसकी राशि फिलहाल अभी पता नहीं है। इस विधेयक के तहत शहर के क्लर्क और नैतिकता आयोग को आयुक्त के चयन में सहयोग करना होगा, तथा शहर के क्लर्क को आयोग के सामान्य कार्यों से जुड़े प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करना होगा। जबकि आयुक्त का मुआवजा अध्यादेश के जरिए स्थापित किया जाएगा और प्रशासनिक प्रक्रियाएँ विकसित होने के बाद शहरी विभाग के प्रशासनिक खर्चों को शहर की वार्षिक बजट प्रक्रिया के भाग के रूप में संबोधित किया जाएगा, इसकी वास्तविक लागतें आयोग के कार्यभार के आधार पर वर्ष-दर-वर्ष बदलती रहेगी। आंशिक वार्षिक लागतें 2028-29 से शुरू होने का अनुमान है, जिसका शहर के सामान्य कोष पर अनुमानित प्रभाव \$1,163,746 होगा। 2029-30 के लिए पूरे वर्ष की लागत \$2,485,756 होने का अनुमान है। आयोग के पूरे जीवनकाल में संचयी लागत लगभग \$6,161,630 होने का अनुमान है। लागत की प्रतिपूर्ति LAUSD द्वारा की जाएगी।



चार्टर संशोधन LL पर हॉ – Los Angeles एकीकृत स्कूल जिले का जिलों का स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोग।

Los Angeles एकीकृत स्कूल जिले (LAUSD) के परिवार और विद्यार्थी ऐसी जिलों की पुनर्विभाजन प्रक्रिया के हकदार हैं, जो सामुदायिक प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देती है—न कि राजनीति के अंदरूनी लोगों को। प्रत्येक दस वर्ष में, संघीय कानून के अनुसार जनसंख्या बदलाव के कारण बोर्ड जिलों की सीमाओं को पुनः निर्धारित किया जाना आवश्यक होता है। यह जिलों के पुनर्विभाजन की प्रक्रिया निर्धारित करती है कि बोर्ड जिले की सीमाएँ कहाँ तय की जाएँगी, और यह प्रभावित करती है कि LAUSD बोर्ड में किन समुदायों का प्रतिनिधित्व होगा, तथा किन समुदायों को चुप करा दिया जाएगा।

मौजूदा समय में, वर्तमान राजनेता बोर्ड जिले की सीमाओं का निर्धारण करते हैं। LAUSD के विद्यार्थियों, परिवारों और समुदायों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय इस प्रक्रिया को राजनीति द्वारा कमजोर बना दिया गया है। हमें एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता है जो जिलों के पुनर्विभाजन की ताकत जनता को दे, न कि राजनेताओं को।

चार्टर संशोधन LL, LAUSD में समुदाय के सदस्यों को महत्वपूर्ण निर्णय लेने की ताकत प्रदान करेगा तथा राजनेताओं के हाथों से यह ताकत पूरी तरह से छीन लेगा। जिलों का स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोग एक सिद्ध, विश्वसनीय, गैर-पक्षपाती सुधार है, जिसने California के अनगिनत अन्य न्यायक्षेत्रों में अच्छा काम किया है। यह LAUSD के निष्पक्ष और निष्पक्ष निवासियों को जनता से प्राप्त इनपुट के आधार पर बोर्ड जिले की सीमाएँ निर्धारित करने की अनुमति देता है।

चार्टर संशोधन LL करेगा:

- जिलों के स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयुक्तों को राजनेताओं के प्रभाव के बिना LAUSD के लिए नई पुनर्विभाजन योजनाओं को अपनाने का पूर्ण अधिकार देगा, साथ ही पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सार्वजनिक इनपुट की आवश्यकता को ज़रूरी बनाएगा
- LAUSD में सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा, जिसमें जिले के भीतर के शहर और असंगठित समुदाय भी शामिल हैं
- हितधारक समुदायों की रक्षा करेगा ताकि बोर्ड जिलों में उनका ठीक तरीके से प्रतिनिधित्व हो सके
- किसी उम्मीदवार या पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए जिलों की हेराफेरी किए जाने पर रोक लगाएगा और तिकड़मबाजी पर रोक लगाएगा
- सुनिश्चित करेगा कि वर्तमान LAUSD विद्यार्थियों के माता-पिता और अभिभावकों का आयोग में प्रतिनिधित्व हो

इस पृष्ठ पर छपे हुए तर्क लेखकों की राय हैं और उन्हें सटीकता के लिए शहर की किसी भी एजेंसी के द्वारा जाँचा नहीं गया है।



- गारंटी देगा कि LAUSD के हितधारक – जिनमें युवा और विद्यार्थी, जिले के कर्मचारी और शिक्षक, और अन्य व्यक्ति शामिल हैं – भाग ले सकते हैं

नया आयोग 2030 में अपना महत्वपूर्ण कार्य शुरू करेगा और इस प्रक्रिया को राजनीतिक दबाव से मुक्त करेगा।

कृपया चार्टर संशोधन LL पर हाँ में मतदान करने में हमारे साथ शामिल हों!

चार्टर संशोधन LL के पक्ष में तर्क पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति

COMMON CAUSE

Dan Vicuna

ज़िलों के पुनर्विभाजन और प्रतिनिधित्व निदेशक

JACKIE GOLDBERG

बोर्ड अध्यक्ष

Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िला

TANYA ORTIZ FRANKLIN

बोर्ड सदस्य

Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िला

HECTOR SANCHEZ

डिप्टी राजनीतिक निदेशक

Community Coalition

JOHN KIM

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Catalyst California

DAVID LEVITUS

कार्यकारी निदेशक

LA Forward Institute

VANESSA ARAMAYO

मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष

Alliance for a Better Community

इस उपाय के खिलाफ कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया था।

इस पृष्ठ पर छपे हुए तर्क लेखकों की राय हैं और उन्हें सटीकता के लिए शहर की किसी भी एजेंसी के द्वारा जाँचा नहीं गया है।



चार्टर संशोधन LL के पक्ष में तर्क का खंडन

चार्टर संशोधन LL पर हाँ में मतदान करना यह सुनिश्चित करता है कि माता-पिता, परिवार, और सामान्य लोग Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िला (LAUSD) के लिए ज़िलों के पुनर्विभाजन को नियंत्रित करते हैं।

मतदाताओं को अपने राजनेताओं का चयन करना चाहिए, न कि राजनेताओं को अपने मतदाताओं का चयन करना चाहिए। चार्टर संशोधन LL ज़िलों के पुनर्विभाजन की प्रक्रिया के दौरान LAUSD के विद्यार्थियों और परिवारों को प्राथमिकता देता है और राजनेताओं को स्कूल बोर्ड ज़िलों की सीमाओं में हेराफेरी करने से रोकता है। हाँ के मतदान का मतलब है कि योग्य और निष्पक्ष समुदाय के सदस्यों से बना ज़िलों के पुनर्विभाजन का स्वतंत्र आयोग इस प्रक्रिया का नेतृत्व करेगा। समुदाय के सदस्य LAUSD समुदायों की विविधता को प्रतिबिंबित करेंगे, तथा राजनेताओं द्वारा अपने स्वयं के ज़िले निर्धारित करने में निहित हितों के टकराव को समाप्त करेंगे।

“जिन क्षेत्राधिकारों ने वास्तव में स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोगों का गठन किया है, वहाँ जनता की भागीदारी का स्तर ऊंचा उठा है, ज़िलों की सीमाओं को निर्धारित करने में हेराफेरी कम हुई है और ऐसे ज़िले बने हैं जो व्यक्तिगत राजनेताओं के हितों का नहीं, बल्कि समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं।” – The Los Angeles Times

ज़िलों के पुनर्विभाजन का स्वतंत्र आयोग लोगों के हितों को सबसे पहले रखता है। चार्टर संशोधन LL पर हाँ में मतदान करने में हमारे साथ शामिल हों!

चार्टर संशोधन LL के पक्ष में तर्क के खंडन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति

CALIFORNIA COMMON CAUSE

Russia Chavis Cardenas

मतदान अधिकार और ज़िलों के पुनर्विभाजन
के प्रोग्राम मैनेजर

DR. LORAIN LUNDQUIST

पूर्व सदस्य

2021 LAUSD Redistricting Commission

REVEREND EDDIE ANDERSON

LA शहर के ज़िलों के पुनर्विभाजन आयुक्त 2020

KRISTINE WILLIAMS

उपाध्यक्ष - रणनीतिक पहलें

Community Development Technologies Center

HENRY PEREZ

कार्यकारी निदेशक

InnerCity Struggle

LAURICE SOMMERS और MARY DICKSON

सह-अध्यक्ष

League of Women Voters Greater Los Angeles

इस पृष्ठ पर छपे हुए तर्क लेखकों की राय है और उन्हें सटीकता के लिए शहर की किसी भी एजेंसी के द्वारा जाँचा नहीं गया है।



चार्टर या मौजूदा चार्टर अनुभागों में जोड़े गए नए प्रावधान या भाषा को रेखांकित टाइप में दिखाया गया है; चार्टर या मौजूदा चार्टर अनुभागों से मिटाए गए शब्दों को स्ट्राइकआउट टाइप में दिखाया गया है।

चार्टर संशोधन LL

अनुभाग 1. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर में अनुभागों 810 से 819 को निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िले का ज़िलों का स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोग

अनुभाग 810. आयोग की स्थापना एवं उद्देश्य।

(a) यहाँ Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िले का ज़िलों का एक स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोग ("आयोग") होगा, जिसकी अध्यादेश के अनुसार शहर के चार्टर में निर्धारित की गई शक्तियाँ, कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ होंगी।

(b) इस आयोग का उद्देश्य एक निष्पक्ष, पारदर्शी, समावेशी और ज़िलों की स्वतंत्र पुनर्विभाजन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा बोर्ड के ज़िले की सीमाओं को विकसित करके Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िले के संचालन को मजबूत बनाना है, जो इसकी कार्यवाहियों में जनता की भागीदारी और जनता की पहुंच को सशक्त बनाता है।

अनुभाग 811. आयोग का संगठन, शक्तियाँ और कर्तव्य।

(a) इस आयोग में 14 सदस्य और चार वैकल्पिक सदस्य शामिल होंगे।

(b) दस सालों में की जाने वाली प्रत्येक संघीय जनगणना के बाद हर दस वर्ष में एक नया आयोग स्थापित किया जाएगा। इस आयोग के सदस्यों का चयन नंबर शून्य पर समाप्त होने वाले प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल तक कर लिया जाएगा।

(c) इस आयोग के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल उस आयुक्त के संबंधित चयन की तारीख से शुरू हो जाएगा और अगले आयोग के पहले सदस्य का चयन किए जाने पर समाप्त हो जाएगा।

(d) इस आयोग की निम्नलिखित शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे:

(1) दस सालों में की जाने वाली प्रत्येक संघीय जनगणना के बाद Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िले के शिक्षा बोर्ड ज़िलों की सीमाओं को अपनाना;

(2) चार्टर और अध्यादेश के अनुसार निर्धारित ज़िलों के पुनर्विभाजन के मानदंडों और प्रक्रिया का अनुपालन करना;

(3) एक ऐसे निष्पक्ष तरीके से काम करना जिससे ज़िलों की पुनर्विभाजन प्रक्रिया की अखंडता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो;

(4) ज़िलों के पुनर्विभाजन के बारे में जनता को शिक्षित और सूचित करना, ज़िलों की पुनर्विभाजन प्रक्रिया में जनता को भागीदारी करने का आग्रह करना और उन्हें प्रोत्साहित करना, और जनता की अभिगम्य मीटिंगों और सुनवाईयों को आयोजित करना तथा जनता को पूरी प्रक्रिया में भाग लेने और टिप्पणी देने का अवसर प्रदान करना;



(5) जिलों के पुनर्विभाजन मामलों के संबंध में मेयर, नगर परिषद, और शहर के नैतिकता आयोग को सिफारिशें प्रस्तुत करना; और

(6) अध्यादेश के अनुसार निर्धारित जिलों के पुनर्विभाजन संबंधी अन्य कार्य करना।

(e) यह आयोग इस आयोग में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभागी प्रदान कर सकता है, जिनका चयन एक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, तथा उन्हें अध्यादेश के अनुसार प्रदान की गई शक्तियाँ और कर्तव्य प्राप्त होंगे।

अनुभाग 812. आयोग की योग्यताएँ और प्रतिबंध

(a) आयोग के प्रत्येक सदस्य की आयु कम से कम 18 वर्ष होगी, जब तक कि अध्यादेश के अनुसार कोई अन्य न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित न कर दी जाए। आयोग का प्रत्येक सदस्य चुने जाने के समय Los Angeles एकीकृत स्कूल जिले का निवासी होगा, और उस व्यक्ति द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने से तुरंत पहले Los Angeles एकीकृत स्कूल जिले में कम से कम तीन साल तक रहते होना जरूरी होगा। आयुक्त का संयुक्त राज्य अमेरिका का पंजीकृत मतदाता होना या नागरिक होना जरूरी नहीं है।

(b) कोई व्यक्ति आयोग में आवेदन करने या सेवा करने के योग्य नहीं होगा अगर वह व्यक्ति आवेदन प्रस्तुत करने से ठीक पहले के चार वर्षों में किसी भी समय Los Angeles एकीकृत स्कूल जिले का कर्मचारी या Los Angeles एकीकृत स्कूल जिला आयोग का सदस्य रहा हो।

(c) अगर कोई व्यक्ति या उसके पति/पत्नी या परिवार ने जिलों के स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोगों के लिए पात्रता आवश्यकताओं के संबंध में California चुनाव संहिता प्रावधानों में बताई गई पूर्व राजनीतिक और लॉबिंग गतिविधियों में भाग लिया है, तो वह व्यक्ति आयोग में आवेदन करने या सेवारत होने के योग्य नहीं होगा। अध्यादेश के अनुसार अतिरिक्त पात्रता आवश्यकताएँ लागू की जा सकती हैं।

(d) आयोग के आवेदकों को सहयोगात्मक कौशल, नागरिक सहभागिता में अनुभव, तथा जटिल डेटा का विश्लेषण करने की क्षमता का प्रदर्शन करना होगा।

(e) आयोग में कार्यरत रहने के दौरान, आयोग का कोई सदस्य शिक्षा बोर्ड के किसी सदस्य या शिक्षा बोर्ड के किसी निर्वाचित पद के उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेगा, उसके लिए काम नहीं करेगा, उसके लिए स्वयंसेवा नहीं करेगा, या अभियान में योगदान नहीं देगा, या किसी अन्य सरकारी निकाय के लिए जिलों के पुनर्विभाजन आयोग में कार्यरत नहीं होगा।

(f) आयोग का कोई सदस्य या पूर्व सदस्य निम्नलिखित में से कोई भी कार्य नहीं करेगा:

(1) शिक्षा बोर्ड के निर्वाचित कार्यालय के लिए उम्मीदवार न बनना, जब तक कि आयोग में आयुक्त की पिछली बार कार्यरत होने की तारीख से पांच वर्ष से अधिक समय न बीत गया हो या आयोग में आयुक्त के चयन की तारीख से दस वर्ष का समय न बीत गया हो, इनमें से जो भी कम हो।

(2) किसी भी जिले के लिए शिक्षा बोर्ड के निर्वाचित कार्यालय के लिए उम्मीदवार बनना, जिसके लिए चुनाव उस जिले की सीमाओं का इस्तेमाल करके आयोजित किया जाएगा जिसे उस आयोग द्वारा अपनाया गया था जिस पर वह सदस्य कार्यरत था।

(g) आयोग में कार्यरत होने की अंतिम तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए या आयोग में चयन की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए, जो भी कम हो, आयोग का कोई सदस्य या पूर्व सदस्य निम्नलिखित में से कोई भी कार्य नहीं करेगा:



(1) Los Angeles एकीकृत स्कूल जिले में किसी अन्य आयोग पर नियुक्ति स्वीकार करना।

(2) शिक्षा बोर्ड के किसी सदस्य या शिक्षा बोर्ड के किसी निर्वाचित पद के लिए उम्मीदवार के वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में रोजगार स्वीकार करना या सलाहकार के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करना।

(3) Los Angeles एकीकृत स्कूल जिले के साथ गैर-प्रतिस्पर्धी बोली अनुबंध प्राप्त करना।

(4) Los Angeles एकीकृत स्कूल जिले के एक पंजीकृत लॉबिस्ट (पैरवी करने वाले) की तरह काम करना।

(5) Los Angeles एकीकृत स्कूल जिले के किसी कार्यालय में नियुक्ति स्वीकार करना।

(h) आयोग के वैकल्पिक सदस्यों पर भी अन्य आयोग सदस्यों के समान ही पात्रता आवश्यकताएँ, आचरण के मानक और प्रतिबंध लागू होंगे।

अनुभाग 813. आयुक्त का चयन और उन्हें हटाना।

(a) भावी आयुक्तों की पहचान करने की आवेदन प्रक्रिया, जो संख्या नौ पर समाप्त होने वाले प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल तक शुरू होगी।

(b) शहर का क्लर्क आयोग की आवेदन प्रक्रिया का प्रबंधन करेगा, और शहर के नैतिकता आयोग की निगरानी करेगा। शहर का क्लर्क और शहर के नैतिकता आयोग इन जिम्मेदारियों को अपने कर्मचारियों या सलाहकारों को सौंप सकते हैं।

(c) शहर का क्लर्क यह सुनिश्चित करने के लिए एक आउटरीच और शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करेगा कि आयोग की आवेदन प्रक्रिया के बारे में प्रकाशन और जागरूकता हो, वंचित समुदायों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी और अध्यादेश के अनुसार पहचानी गई विविध भाषाओं में प्रयास किए जाएंगे। शहर का क्लर्क प्रस्तुत किए गये आवेदनों के जनसांख्यिकीय डेटा की निगरानी करेगा और उन्हें सार्वजनिक करेगा तथा आवश्यकतानुसार पहुँच को बेहतर बनाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आवेदक पूल में पर्याप्त संख्या में योग्य आवेदक हैं और यह Los Angeles एकीकृत स्कूल जिले की विविधता को उचित रूप से दर्शाता है।

(d) आयोग पर कार्यरत होने के लिए पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने वाला कोई भी इच्छुक व्यक्ति शहर के क्लर्क के पास एक आवेदन पेश कर सकता है। शहर का क्लर्क आवेदनों की समीक्षा करेगा और उन व्यक्तियों वाले एक आवेदक पूल की स्थापना करेगा जिसमें वे व्यक्ति शामिल होंगे जो अनुभाग 812 की उपखंडों (a) से (c) में निर्दिष्ट की गई वस्तुनिष्ठ पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

(e) शहर का क्लर्क जनता की समीक्षा के लिए आवेदक पूल में शामिल किए गये व्यक्तियों के नामों को प्रकाशित करेगा और एक प्रक्रिया की स्थापना करेगा जिसके द्वारा जनता को आवेदक पूल में से किसी भी व्यक्ति की पात्रता के संबंध में जानकारी प्रदान की जा सके। शहर का नैतिकता आयोग जनता द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी की समीक्षा करेगा तथा यह निर्धारित करेगा कि क्या किसी व्यक्ति को आवेदक सूची से हटाया जाएगा।

(f) जनता की समीक्षा अवधि के बाद, शहर का नैतिकता आयोग आवेदक पूल में व्यक्तियों के आवेदनों का मूल्यांकन करेगा ताकि उन व्यक्तियों की पहचान की जा सके जो अनुभाग 812 की उपखंडों (a) से (d) में निर्दिष्ट



पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और जिन्हें आयोग चयन पूल में शामिल किया जाएगा। आयोग चयन पूल की स्थापना होने के बाद, शहर के नैतिकता आयोग को जनता से जानकारी प्राप्त करने और आयोग चयन पूल में व्यक्तियों की निरंतर पात्रता के संबंध में निर्धारण करने का अधिकार होगा।

(g) शहर का क्लर्क शिक्षा बोर्ड के सात जिलों में से प्रत्येक के भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति का चयन करने के लिए एक सार्वजनिक मीटिंग में यादृच्छिक ड्राइंग का आयोजन करेगा। इस चयन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप आयोग के सात सदस्यों का चयन होगा, जिनमें शिक्षा बोर्ड के सात जिलों में प्रत्येक के भौगोलिक क्षेत्र में से एक सदस्य होगा।

(h) चुने गये सात आयुक्त आयोग के सात अतिरिक्त सदस्यों का चयन करने के लिए आयोग चयन पूल में शेष सभी आवेदकों के आवेदनों की समीक्षा करेंगे। ये चयन एक सार्वजनिक मीटिंग में सात प्रारंभिक आयुक्तों के दो-तिहाई वोट से किए जाएंगे, जो आवेदक के प्रासंगिक अनुभवों और पृष्ठभूमि, Los Angeles एकीकृत स्कूल जिले के आस-पड़ोस से परिचितता, निष्पक्ष होने की क्षमता और यह सुनिश्चित करने के आधार पर किए जाएंगे कि आयोग Los Angeles एकीकृत स्कूल जिले की विविधता को प्रदर्शित करता है, जिसमें नस्लीय, जातीय, लिंग, लैंगिक अभिविन्यास, आयु, आमदनी, पेशेवर और भौगोलिक विविधता शामिल है। हालांकि, इस उद्देश्य के लिए फार्मूले या अनुपातों को लागू नहीं किया जाएगा। ये चयन एक ऐसे तरीके से किये जाएंगे जो यह सुनिश्चित करता है कि आयोग के 14 सदस्यों में से कम से कम चार सदस्य ऐसे विद्यार्थियों के माता-पिता या संरक्षक हैं जो चयन के समय Los Angeles एकीकृत स्कूल जिले में स्थित किसी स्कूल में जाते हैं।

(i) 14 आयुक्तों का चयन हो जाने के बाद, आयोग वैकल्पिक आयुक्तों के तौर पर काम करने के लिए आयोग चयन पूल में शेष आवेदकों में से चार व्यक्तियों का चयन करेगा। वैकल्पिक आयुक्तों का चयन ऐसे तरीके से किया जाएगा जो वैकल्पिक आयुक्तों के बीच भौगोलिक विविधता को सुनिश्चित करता हो।

(j) आयोग किसी आयुक्त को कर्तव्य की पर्याप्त रूप से उपेक्षा करने, कार्यालय में घोर दुर्व्यवहार करने, कार्यालय के कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ होने, अनुभाग 812 में वर्णित आयुक्त की पात्रता आवश्यकताओं और प्रतिबंधों का पालन न कर पाने, अनुचित रूप से अनुपस्थित रहने, या पारदर्शिता आवश्यकताओं का पालन न कर पाने के कारण हटा सकता है। इस प्रावधान के तहत हटाए जाने के लिए सदस्य को सार्वजनिक सुनवाई की सूचना देने तथा सार्वजनिक सुनवाई में लिखित रूप में प्रतिक्रिया देने का अवसर देने के बाद आयोग के दो-तिहाई मतदान की आवश्यकता होगी। हटाया गया सदस्य आयोग के फैसले पर शहर के नैतिकता आयोग के समक्ष अपील कर सकता है।

(k) आयोग ऐसे आयुक्त को तुरंत हटा सकता है जिस पर घोर अपराध का आरोप लगाया गया हो, या जिस पर अनुभाग 207(c) में वर्णित आधिकारिक कर्तव्यों के उल्लंघन से संबंधित आपराधिक कदाचार का आरोप लगाया गया हो। इस प्रावधान के तहत हटाए जाने के लिए आयोग के दो-तिहाई मतदान की आवश्यकता होगी। हटाया गया सदस्य आयोग के फैसले पर शहर के नैतिकता आयोग के समक्ष अपील कर सकता है।

(l) अगर वह सदस्य किसी अपराध के लिए दोषी पाया जाता है या कोई प्रतिवाद नहीं करता है या उसे किसी घोर अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो आयोग के सदस्य का यह पद खाली हो जाएगा।

(m) अगर आयोग का कोई पद खाली हो जाता है, तो आयोग के अध्यक्ष द्वारा एक सार्वजनिक मीटिंग में यादृच्छिक ड्राइंग आयोजित करके आयुक्त के रूप में काम करने के लिए वैकल्पिक आयुक्तों में से एक का चयन किया जाएगा।



अनुभाग 814. जिलों के पुनर्विभाजन का मानदंड।

(a) आयोग शिक्षा बोर्ड की जिला सीमाओं को अपनाएगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान, California के संविधान और संघीय मताधिकार अधिनियम 1965 के अनुरूप होंगे। प्रत्येक जिले की जनसंख्या यथोचित रूप से अन्य जिलों के बराबर होगी, सिवाय उन जिलों के जहाँ संघीय मताधिकार अधिनियम के अनुपालन के लिए विचलन की आवश्यकता हो या कानून द्वारा स्वीकार्य हो।

(b) उपखंड (a) की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के अतिरिक्त, आयोग निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम में निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों का इस्तेमाल करते हुए शिक्षा बोर्ड की जिला सीमाओं को अपनाएगा:

(1) अधिकतम व्यवहार्य हद तक, जिले भौगोलिक दृष्टि से एक-दूसरे से सटे होंगे। वे क्षेत्र जो केवल आसन्न कोनों पर मिलते हैं, एक-दूसरे से सटे हुए नहीं होते हैं। जो क्षेत्र एक-दूसरे से पानी से अलग होते हैं और किसी पुल, सुरंग या नियमित फेरी (नौका) सेवा से जुड़े नहीं होते, वे एक-दूसरे से सटे हुए नहीं होते हैं।

(2) अधिकतम व्यवहार्य हद तक, और जहाँ यह इस उपखंड में पूर्ववर्ती मानदंड के साथ संघर्ष नहीं करता है, किसी भी समान हित वाले स्थानीय पड़ोस या स्थानीय समुदाय की भौगोलिक अखंडता का इस तरह से सम्मान किया जाएगा जिससे उसका विभाजन कम से कम हो। "समान हित वाले समुदाय" का मतलब ऐसी आबादी है जो समान सामाजिक या आर्थिक हितों को साझा करती है, उसे प्रभावी और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व के लिए एक ही निर्वाचन क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए। समान हित वाले समुदायों की विशेषताओं में शिक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण, आवास, परिवहन और सामाजिक सेवाओं तक पहुँच जैसी साझा सार्वजनिक नीति संबंधी चिंताएँ शामिल हो सकती हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। समान हित वाले समुदायों की विशेषताओं में सांस्कृतिक जिले, साझा सामाजिक-आर्थिक विशेषताएँ, समान मतदाता पंजीकरण दरें और भागीदारी दरें तथा साझा इतिहास भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। समान हित वाले समुदायों में राजनीतिक दलों, पदाधिकारियों, या राजनीतिक उम्मीदवारों के साथ संबंध शामिल नहीं होते हैं।

(3) अधिकतम व्यवहार्य हद तक, और जहाँ यह इस उपखंड में पूर्ववर्ती मानदंड के साथ संघर्ष नहीं करता है, जिले प्राकृतिक और कृत्रिम अवरोधों द्वारा, सड़कों द्वारा, या Los Angeles एकीकृत स्कूल जिले की सीमाओं से घिरे होंगे। जिले की सीमाएँ निवासियों द्वारा आसानी से पहचानी जाने योग्य और समझ आने योग्य होनी चाहिए।

(4) अधिकतम व्यवहार्य हद तक, और जहाँ यह इस उपखंड में पूर्ववर्ती मानदंड के साथ संघर्ष नहीं करता है, भौगोलिक सघनता को प्रोत्साहित करने के लिए जिलों को इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि निकटवर्ती आबादी वाले क्षेत्रों को अधिक दूर स्थित आबादियों के पक्ष में नज़रअंदाज न किया जाए।

(c) आयोग किसी पदाधिकारी, राजनीतिक उम्मीदवार या राजनीतिक दल के प्रति पक्षपात या भेदभाव करने के उद्देश्य से जिला सीमाओं को नहीं अपनाएगा, तथा जिला सीमाओं को विकसित करने में किसी पदाधिकारी या उम्मीदवार के निवास स्थान पर विचार नहीं किया जाएगा।

(d) जिला सीमाओं को अपनाते समय आयोग को अन्य अतिरिक्त मानदंडों पर भी विचार करना चाहिए, जिसमें आर्थिक और सांस्कृतिक स्थानों और संसाधनों के साथ सामुदायिक और सांस्कृतिक जुड़ाव पर विचार किया



जाना भी शामिल है। अतिरिक्त मानदंडों से संबंधित सभी फैसलों पर सार्वजनिक बैठकों में विचार किया जाएगा और उन्हें अनुमोदित किया जाएगा। आयोग द्वारा अतिरिक्त मानदंडों पर विचार उपखंडों (a) से (c) तक की लागू होने वाली आवश्यकताओं के अनुपालन में और उनके अधीन किया जाना चाहिए।

(e) आयोग के जिला सीमाओं को अपनाने के बाद, आयोग प्रत्येक शिक्षा बोर्ड जिले को इस प्रकार क्रमांकित करेगा कि, अधिक से अधिक निवासियों के लिए, जिस शिक्षा बोर्ड जिले में वे रहते हैं, उसकी संख्या समान रहे।

अनुभाग 815. सार्वजनिक बैठकें, आउटरीच, और सुगम्यता।

(a) आयोग Ralph M. Brown अधिनियम और अन्य लागू होने वाले खुली मीटिंग संबंधी कानूनों का अनुपालन करेगा।

(b) आयोग जिलों की पुनर्विभाजन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए निवासियों को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाएगा, जिसमें कम प्रतिनिधित्व वाले समुदाय और गैर-अंग्रेजी भाषी समुदाय भी शामिल होंगे।

(c) आयोग सार्वजनिक सुनवाईयाँ और वर्कशॉप इस प्रकार आयोजित करेगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जनता को जिलों की पुनर्विभाजन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में भाग लेने और टिप्पणी करने का अवसर मिलता है।

(d) आयोग अंग्रेजी और स्पेनिश में तथा अध्यादेश के अनुसार आगे दिए गए प्रावधानों के अनुसार आयोग की बैठकों का सीधा प्रसारित अनुवाद उपलब्ध कराएगा। आयोग संघीय और राज्य कानून द्वारा अपेक्षित तथा अध्यादेश के अनुसार निर्धारित भाषाओं में सामग्रियाँ उपलब्ध कराएगा।

(e) आयोग सुगम्यता संबंधी एक योजना विकसित करेगा और उसे क्रियान्वित करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकलांग व्यक्ति और वरिष्ठ नागरिक आयोग की बैठकों और सुनवाईयों में पूरी तरह से भाग ले सकें। आयोग इस योजना का विकास सार्वजनिक सुनवाईयों की शुरुआत से पहले करेगा।

(f) गवाही देने के प्रयोजन से, शिक्षा बोर्ड के सदस्य भी आम जनता के सदस्यों के समान ही सार्वजनिक टिप्पणी प्रक्रियाओं के विषयाधीन होंगे।

(g) एकपक्षीय संचार।

(1) आयोग का कोई भी सदस्य सार्वजनिक मीटिंग के बाहर जिलों के पुनर्विभाजन मामलों पर किसी भी व्यक्ति या संगठन के साथ संचार नहीं करेगा। यह प्रावधान किसी दूसरे आयुक्त, आयोग के कर्मचारियों, कानूनी वकील, या आयोग द्वारा नियुक्त किए गये परामर्शदाताओं के साथ संचार पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। यह प्रावधान शहर और Los Angeles एकीकृत स्कूल जिले के कर्मचारियों के साथ संचार पर प्रतिबंध नहीं लगाता है, जब तक कि वे संचार प्रशासनिक मामलों या जनता के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली शैक्षिक प्रस्तुतियों से संबंधित हों।

(2) आयोग के कार्यकारी निदेशक, आयोग के किसी भी नक्शे बनाने वाले कर्मचारी या नक्शे बनाने वाले परामर्शदाता, तथा आयोग द्वारा नामित अन्य आयोग कर्मचारी, शिक्षा बोर्ड के किसी भी सदस्य या शहर के निर्वाचित अधिकारी, शिक्षा बोर्ड या शहर के कार्यालय के लिए निर्वाचित उम्मीदवार, या ऐसे किसी भी सदस्य या उम्मीदवार के कर्मचारियों के साथ, सार्वजनिक बैठक के बाहर जिलों के पुनर्विभाजन मामलों के बारे में सीधे या किसी एजेंट के जरिए संचार नहीं करेंगे। यह प्रावधान



शहर और Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िले के कर्मचारियों के साथ संचार पर प्रतिबंध नहीं लगाता है, जब तक कि वे संचार प्रशासनिक मामलों या जनता के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली शैक्षिक प्रस्तुतियों से संबंधित हों।

(3) शहर के नैतिकता आयोग, शहर के क्लर्क, या शहर के किसी अन्य विभाग की चयन प्रक्रिया में शामिल शहरी विभाग का कोई सदस्य या कर्मचारी, शिक्षा बोर्ड के किसी भी सदस्य या शहर के निर्वाचित अधिकारी, शिक्षा बोर्ड या शहर के कार्यालय के लिए निर्वाचित उम्मीदवार या ऐसे किसी भी अधिकारी या उम्मीदवार के कर्मचारी के साथ, सीधे या किसी एजेंट के माध्यम से, चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी मामले के बारे में सार्वजनिक बैठक के बाहर उस प्रक्रिया के पूरा होने से पहले संचार नहीं करेगा। यह प्रावधान उस सीमा तक संचार पर प्रतिबंध नहीं लगाता है, जब तक कि वे संचार प्रशासनिक मामलों या जनता के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली शैक्षिक प्रस्तुतियों से संबंधित हों।

(4) आयोग संचार के संबंध में अन्य नियम भी अपना सकता है, बशर्ते वे नियम Brown अधिनियम के अनुरूप हों, इस उपखंड के प्रावधानों के साथ टकराव में न हों, और आयोग की सार्वजनिक मीटिंग में अपनाए गए हों।

अनुभाग 816. आयोग का व्यावसायिक आचरण, प्रशासन और कार्मिक।

(a) आयोग का प्रत्येक सदस्य और वैकल्पिक सदस्य California राजनीतिक सुधार अधिनियम के अनुसार अपनाए गए आयोग के लिए हितों के टकराव संबंधी संहिता में नामित कर्मचारी होगा, और कानून द्वारा अपेक्षित आर्थिक हितों और अन्य वित्तीय प्रकटीकरण ब्यौरों का विवरण शहर के नैतिकता आयोग के समक्ष दाखिल करेगा।

(b) किसी भी आधिकारिक कार्यवाई के लिए आयोग के बहुमत के सकारात्मक मतदान की जरूरत होगी, सिवाय निम्नलिखित कार्यों के जिनके लिए आयोग के दो-तिहाई बहुमत के अनुमोदन की जरूरत होगी:

(1) जिलों के पुनर्विभाजन की अंतिम योजना के लिए मतदान;

(2) किसी आयुक्त को हटाने के लिए मतदान;

(3) अनुभाग 813(h) में वर्णित सात आयुक्तों के चयन के लिए मतदान;

(4) कार्यकारी निदेशक, नक्शे बनाने वाले परामर्शदाता या नक्शे बनाने वाले कर्मचारी सदस्य, तथा आयोग द्वारा प्रमुख कर्मचारियों के रूप में नामित किसी अन्य पद को नियुक्त करने के लिए मतदान; और

(5) भर्ती करने या अनुबंध प्राधिकार के प्रत्यायोजन को अधिकृत करने के लिए मतदान, इस सीमा तक कि ऐसा प्राधिकरण राज्य और शहर के कानून के तहत प्रत्यायोजित करने योग्य हो।

(c) आयोग के वैकल्पिक सदस्य आयोग के विचार-विमर्श में पूरी तरह से भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं दे सकते हैं और उन्हें कोरम पूरा करने में नहीं गिना जा सकता है।

(d) आयोग, आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करने के लिए एक आयुक्त का चयन करेगा। आयोग अपने सदस्यों में से अन्य अधिकारियों को मनोनीत कर सकता है।



(e) मसौदा और जिलों के पुनर्विभाजन की अंतिम योजनाओं के लिए जिला सीमाओं को विकसित करने के सिद्धांतों पर विचार सार्वजनिक बैठक में किया जाएगा और आयोग के मतदान द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(f) आयोग प्रस्तावित नक्शा सिद्धांतों और किसी भी प्रस्तावित अंतिम नक्शे को आयोग की सुनवाई या बैठक में विचार करने से पहले कम से कम सात दिनों के लिए आयोग की वेबसाइट पर पोस्ट करेगा।

(g) आयोग एक कार्यकारी निदेशक और जिलों के पुनर्विभाजन, प्रौद्योगिकी और आउटरीच कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा, जिनके पद चार्टर की नागरिक सेवाओं के प्रावधानों से मुक्त होंगे।

(h) आयोग को चार्टर के अनुबंध प्रावधानों और अध्यादेश के अनुसार प्रदत्त अनुसार प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के जरिए परामर्शदाताओं को नियुक्त करने का अधिकार होगा।

(i) शहर का क्लर्क, शहर के संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करने, शहर और Los Angeles एकीकृत स्कूल जिला विभागों और कर्मियों के साथ समन्वय करने, तथा आवश्यकतानुसार अन्य प्रशासनिक मामलों में आयोग को सहायता प्रदान करेगा। शिक्षा बोर्ड का कार्यकारी अधिकारी आयोग को भी सहायता प्रदान करेगा।

(j) आयोग शहर के अटॉर्नी को कानूनी सलाहकार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है या शहर के अटॉर्नी से आयोग के लिए कानूनी सलाहकार नियुक्त करने का अनुरोध कर सकता है।

अनुभाग 817. जिलों के पुनर्विभाजन की अंतिम योजना को अपनाना।

(a) आयोग संख्या एक पर समाप्त होने वाले प्रत्येक वर्ष की 30 सितम्बर तक अपनी जिलों के पुनर्विभाजन की अंतिम योजना को अपनाएगा, जिसमें शिक्षा बोर्ड की नई जिला सीमाएँ स्थापित की जाएंगी।

(b) अगर आयोग उपखंड (a) में दी गई समय-सीमा तक जिलों के पुनर्विभाजन की अंतिम योजना को नहीं अपनाता है, तो शहर का अटॉर्नी अनुभाग 814 में वर्णित जिलों के पुनर्विभाजन मानदंडों के अनुसार शिक्षा बोर्ड की नई जिला सीमाओं को निर्धारित करने के आदेश के लिए तुरंत सुपीरियर कोर्ट में याचिका दायर करेगा, और जब तक आयोग जिलों के पुनर्विभाजन की अंतिम योजना को अपनाने में सक्षम नहीं हो जाता, तब तक वे सीमाएँ शिक्षा बोर्ड के चुनावों पर लागू होंगी।

(c) आयोग अंतिम योजना के साथ एक रिपोर्ट जारी करेगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि किस आधार पर आयोग ने अनुभाग 814 में वर्णित जिलों के पुनर्विभाजन मानदंडों के अनुपालन को प्राप्त करने के लिए अपने निर्णय लिए।

(d) जिलों के पुनर्विभाजन की अंतिम योजना को अपनाने के बाद, आयोग योजना, अंतिम रिपोर्ट और अन्य संबंधित सामग्रियों को शहर के क्लर्क को सौंपेगा और इस सामग्री को आयोग की जिलों के पुनर्विभाजन की वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

(e) शहर का क्लर्क आयोग की जिलों के पुनर्विभाजन की अंतिम योजना और रिपोर्ट को शहर की वेबसाइट पर पोस्ट करेगा। शहर का क्लर्क, शिक्षा बोर्ड की नई जिला सीमाओं की अंतिम योजना और विवरण को शहर के किसी अन्य अध्यादेश की तरह ही प्रकाशित करेगा।

(f) नए शिक्षा बोर्ड जिलों की स्थापना करने वाली जिलों के पुनर्विभाजन की अंतिम योजना, चार्टर में अध्यादेशों के लिए प्रावधान के अनुसार, इसके प्रकाशन से 31 दिन बाद प्रभावी हो जाएगी।



(g) जिलों के पुनर्विभाजन की अंतिम योजना शहर के किसी अध्यादेश की तरह ही जनमत संग्रह के अधीन होगी।

(h) जिलों के पुनर्विभाजन द्वारा किसी भी जिले की सीमा या स्थान में कोई भी परिवर्तन शिक्षा बोर्ड के किसी भी सदस्य के कार्यकाल को खत्म करने या बर्खास्त करने के लिए संचालित नहीं होगा, उस कार्यकाल की समाप्ति से पहले जिसके लिए वह सदस्य चुना गया था।

(i) आयोग द्वारा अपनाई गई जिला सीमाओं में तब तक कोई बदलाव नहीं किया जाएगा जब तक कि दस सालों में की जाने वाली अगली संघीय जनगणना न हो जाए, सिवाय किसी कानूनी दावे के निपटारे के लिए या किसी न्यायालय के आदेश के प्रत्युत्तर में।

(j) Los Angeles एकीकृत स्कूल जिले से संबंधित या उसके साथ समेकित किसी भी क्षेत्र को आयोग द्वारा निकटवर्ती जिले या जिलों में जोड़ा जाएगा। यह जुड़ाव विलय या समेकन कार्यवाहियों के पूरा होने पर प्रभावी होगा।

अनुभाग 818. आयोग का वित्तपोषण।

(a) नगर परिषद और मेयर आयोग के गठन और संचालन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराएंगे, जिसमें आयोग के कर्मचारियों, सलाहकारों और कानूनी सलाहकारों को पारिश्रमिक देना, जिलों की पुनर्विभाजन प्रक्रिया में व्यापक सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आउटरीच का संचालन करना, और अगर आवश्यक हो, तो किसी भी कानूनी कार्यवाही में आयोग की कार्यवाहियों का बचाव करना शामिल है।

(b) नगर परिषद और मेयर आयोग के गठन से जुड़े सभी शहरी विभागों को धन उपलब्ध कराएंगे, आयोग को सहायता प्रदान करेंगे तथा आयोग के रिकॉर्डों का रखरखाव करेंगे।

(c) Los Angeles एकीकृत स्कूल जिला आयोग के गठन और संचालन के लिए शहर के विभागों सहित शहर द्वारा किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति करेगा।

(d) आयुक्तों को अध्यादेश के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।

अनुभाग 819. आयोग की सिफारिशें।

(a) आयोग, आयोग की सिफारिशों का समर्थन करने वाले निष्कर्षों, विश्लेषण और आंकड़ों के साथ शहर के नैतिकता आयोग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करके शहर के चार्टर और प्रशासनिक संहिता में वर्णित जिलों की स्वतंत्र पुनर्विभाजन प्रक्रिया में परिवर्तन की सिफारिश कर सकता है।

(b) शहर का नैतिकता आयोग, आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की समीक्षा करेगा और जिलों के पुनर्विभाजन के संबंध में शहर के चार्टर और प्रशासनिक संहिता में संशोधन के लिए सिफारिशों वाली एक रिपोर्ट नगर परिषद को भेज सकता है। जहाँ तक सिफारिशों में प्रशासनिक संहिता में संशोधन करना शामिल है, नैतिकता आयोग शहर के अटॉर्नी की सहायता से किसी भी प्रस्तावित अध्यादेश को तैयार करेगा और प्रेषित करेगा, जो सिफारिश किए गये संशोधनों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा।

(c) प्रशासनिक संहिता में संशोधन। आचार आयोग की रिपोर्ट और जिलों के पुनर्विभाजन के संबंध में प्रशासनिक संहिता में संशोधनों की सिफारिश करने वाले प्रस्तावित अध्यादेश के प्रस्तुत होने के 60 दिनों के भीतर,



नगर परिषद उस मामले के संबंध में एक सार्वजनिक सुनवाई करेगी और प्रस्तावित अध्यादेश को बिना किसी परिवर्तन के अनुमोदित करने या अस्वीकृत करने के लिए कार्य करेगी। अगर परिषद 60 दिन की अवधि के भीतर अस्वीकृति नहीं देती है, तो प्रस्तावित अध्यादेश को अनुमोदन या वीटो के लिए मेयर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, और मेयर के वीटो को रद्द करने के लिए परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अगर मेयर द्वारा अनुमोदित किया जाता है, या मेयर कार्रवाई करने में असफल रहता है, या मेयर के वीटो को दरकिनार करते हुए परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो प्रस्तावित अध्यादेश को अनुमोदित माना जाएगा।

(d) चार्टर में संशोधन। जिलों के पुनर्विभाजन के संबंध में शहर के चार्टर में संशोधन की सिफारिश करने वाली नैतिकता आयोग की रिपोर्ट पर नगर परिषद द्वारा समय पर विचार किया जाएगा, ताकि अगले उपलब्ध चुनाव में मतदाताओं के समक्ष चार्टर संशोधन प्रस्तुत किया जा सके। शहर के चार्टर में कोई संशोधन किए जाने के लिए शहर के मतदाताओं का अनुमोदन आवश्यक होता है।

अनुभाग 2. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 802 को निम्नानुसार निरस्त किया जाता है:

अनुभाग 802. शिक्षा बोर्ड के जिलों का पुनर्विभाजन।

(a) अध्यादेश के अनुसार जिलों का पुनर्विभाजन। प्रत्येक दस वर्ष पर, परिषद अध्यादेश के अनुसार Los Angeles एकीकृत स्कूल जिले को सात जिलों में पुनर्वितरित करेगी, जिन्हें अध्यादेश में एक से सात सहित तक की संख्या में निर्दिष्ट किया जाएगा। उन जिलों का इस्तेमाल शिक्षा बोर्ड के सदस्यों के सभी चुनावों के लिए किया जाएगा, जिसमें उन्हें पद से हटाया जाना भी शामिल है, तथा अध्यादेश के प्रभावी होने की तारीख के बाद और नए जिलों की स्थापना होने तक शिक्षा बोर्ड के सदस्य के पद में किसी भी खाली स्थान को भरने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा।

(b) जिलों का पुनर्विभाजन आयोग। बोर्ड जिला रेखाएँ खींचने के बारे में परिषद को सलाह देने के लिए जिलों का एक पुनर्विभाजन आयोग होगा। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित तरीके से की जाएगी: शिक्षा बोर्ड के प्रत्येक सदस्य द्वारा एक, परिषद के अध्यक्ष द्वारा चार, तथा मेयर द्वारा चार। अनुभाग 501(d) के प्रावधान के बावजूद, परिषद अध्यक्ष द्वारा नियुक्त व्यक्तियों में से एक का, और मेयर द्वारा नियुक्त व्यक्तियों में से एक का Los Angeles एकीकृत स्कूल जिले में लेकिन शहर की सीमाओं के बाहर रहना जरूरी है। स्कूल जिले का कोई अधिकारी या कर्मचारी आयोग पर कार्यरत होने का पात्र नहीं होगा। जिलों का पुनर्विभाजन आयोग बजटीय अनुमोदन के अनुरूप एक निदेशक और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा, जिन पदों को चार्टर के नागरिक सेवा प्रावधानों से छूट प्राप्त होगी।

(c) पुनर्विभाजन प्रक्रिया। जिलों के पुनर्विभाजन आयोग की नियुक्ति जनगणना ब्यूरो द्वारा दशकीय जनगणना डेटा जारी करने की तारीख से पहले की जाएगी। प्रत्येक आगामी जिलों के पुनर्विभाजन से पहले परिषद को सलाह देने के लिए एक नया आयोग नियुक्त किया जाएगा। आयोग नियुक्ति के बाद किसी भी समय जिलों के पुनर्विभाजन की प्रक्रिया शुरू करेगा, लेकिन 1 जून 2021 तक, और उस तारीख के बाद प्रत्येक दसवीं वर्षगांठ तक। आयोग जिलों के पुनर्विभाजन की प्रक्रिया के दौरान जनता से सुझाव मांगेगा। आयोग अध्यादेश के अनुसार निर्धारित की गई तारीख तक परिषद के समक्ष जिलों के पुनर्विभाजन के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

परिषद को 31 दिसम्बर, 2021, और उस तारीख के बाद प्रत्येक दसवीं वर्षगांठ तक जिलों के पुनर्विभाजन अध्यादेश को अपनाना होगा। इस अनुभाग में दिया गया कुछ भी परिषद को अधिक आवृत्ति के साथ जिलों का पुनर्विभाजन करने से नहीं रोकेगा, बशर्ते कि गठित प्रत्येक जिले में, यथासंभव, Los Angeles एकीकृत स्कूल जिले की कुल जनसंख्या का लगभग एक समान हिस्सा हो, जैसा कि जिलों के गठन से तुरंत पहले संघीय जनगणना द्वारा दर्शाया गया हो या परिषद द्वारा पर्याप्त रूप से विश्वसनीय मानी गई अन्य जनसंख्या रिपोर्टों या अनुमानों पर आधारित हो।



(d) जिल्लों के पुनर्विभाजन के लिए मानदंड। सभी जिल्लों को राज्य और संघीय कानून की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाएगा और, जहाँ तक संभव हो, आस-पड़ोस और समुदायों को बरकरार रखा जाएगा, प्राकृतिक सीमाओं या सड़क रेखाओं का इस्तेमाल किया जाएगा, और भौगोलिक रूप से सघन बनाया जाएगा, और हाई स्कूल की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के अनुरूप बनाया जाएगा।

(e) जिल्लों के पुनर्विभाजन का पदाधिकारियों पर प्रभाव। जिल्लों के पुनर्विभाजन द्वारा किसी भी जिले की सीमा या स्थान में कोई भी परिवर्तन शिक्षा बोर्ड के किसी भी सदस्य के कार्यकाल को खत्म करने या बर्खास्त करने के लिए संचालित नहीं होगा, उस कार्यकाल की समाप्ति से पहले जिसके लिए वह सदस्य चुना गया था।

(f) जिल्लों का समेकन। जिलाकरण अध्यादेश को अपनाने के बाद Los Angeles एकीकृत स्कूल जिले में जोड़े गए क्षेत्र को परिषद द्वारा अध्यादेश के अनुसार किसी समीपवर्ती और सन्निहित जिले या जिलों में जोड़ा जाएगा।

(g) कार्यकाल। अनुभाग 806 में दिए गए प्रावधान को छोड़कर, शिक्षा बोर्ड के सदस्य चार वर्ष के कार्यकाल के लिए अपने पद पर बने रहेंगे। विषम संख्या वाले जिल्लों से निर्वाचित बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल वर्ष 1979 की प्रत्येक चौथी वर्षगांठ के दौरान शुरू होगा और सम संख्या वाले जिल्लों से निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल वर्ष 1981 की प्रत्येक चौथी वर्षगांठ के दौरान शुरू होगा, सिवाय अनुभाग 806 में दिए गए प्रावधान के अलावा और वर्ष 2020 तक। वर्ष 2020 से शुरू करते हुए, विषम संख्या वाले जिल्लों से निर्वाचित बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल वर्ष 2020 की प्रत्येक चौथी वर्षगांठ के दौरान शुरू होगा और सम संख्या वाले जिल्लों से निर्वाचित परिषद के सदस्यों के कार्यकाल वर्ष 2022 की प्रत्येक चौथी वर्षगांठ के दौरान शुरू होगा। शिक्षा बोर्ड के सदस्य के तौर पर कोई भी व्यक्ति कार्यालय में तीन से अधिक कार्यकालों पर सेवारत नहीं हो सकता है। कार्यकाल की संख्या पर यह सीमा किसी समाप्त न हुई कार्यकाल अवधि पर लागू नहीं होगी जिसके लिए कोई व्यक्ति निर्वाचित हुआ हो या नियुक्त किया गया हो, यदि कार्यकाल का शेष भाग उस पदावधि के पूर्ण कार्यकाल के आधे से कम हो। कार्यकाल की संख्या पर यह सीमा सिर्फ उन कार्यकालों पर लागू होगी जो 1 मार्च, 2007 को या उसके बाद शुरू होते हैं।

अनुभाग 3. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 806 को निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

अनुभाग 806. शिक्षा बोर्ड का कार्यकाल।

(a) उपखंड (b) में दिए गए प्रावधान को छोड़कर, शिक्षा बोर्ड के सदस्य चार वर्ष के कार्यकाल के लिए अपने पद पर बने रहेंगे।

(b)(a) चार्टर में दिए किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, 2020 से शुरू होने वाली चुनाव की नई तारीखों पर पारगमन करने के लिए, 2015 में चुने गए शिक्षा बोर्ड के सदस्यों को दिसंबर 2020 में समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए चुना जाएगा और वर्ष 2017 में चुने गए सदस्यों को दिसंबर 2022 में समाप्त होने वाले एक कार्यकाल के लिए चुना जाएगा।

(c)(b) शिक्षा बोर्ड के किसी सदस्य का कार्यकाल उसके चुनाव के बाद अगली जुलाई की पहली तारीख से शुरू होकर वर्ष 2020 तक होगा। वर्ष 2020 से शुरू करते हुए, विषम संख्या वाले जिल्लों से निर्वाचित परिषद के सदस्यों का कार्यकाल वर्ष 2020 की प्रत्येक चौथी वर्षगांठ के दौरान शुरू होगा। सम संख्या वाले जिल्लों से निर्वाचित शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल वर्ष 2022 की प्रत्येक चौथी वर्षगांठ के दौरान शुरू होगा। शिक्षा बोर्ड के किसी सदस्य का कार्यकाल उसके चुनाव के बाद अगली दिसम्बर के दूसरे सोमवार को शुरू होगा।



(d)(c) शिक्षा बोर्ड के एक सदस्य के तौर पर कोई भी व्यक्ति कार्यालय में तीन से अधिक कार्यकालों के लिए सेवारत नहीं होगा। कार्यकाल की संख्या पर यह सीमा किसी समाप्त न हुई कार्यकाल अवधि पर लागू नहीं होगी जिसके लिए कोई व्यक्ति निर्वाचित हुआ हो या नियुक्त किया गया हो, यदि कार्यकाल का शेष भाग उस पदावधि के पूर्ण कार्यकाल के आधे से कम हो। कार्यकाल की संख्या पर यह सीमा सिर्फ़ उन कार्यकालों पर लागू होगी जो 1 मार्च, 2007 को या उसके बाद शुरू होते हैं। इस उपखंड के उद्देश्यों से अनुभाग 802(g) में शामिल कार्यकाल, इस अनुभाग के उपखंड (b)(a) में वर्णित अनुसार 2015 और 2017 में निर्वाचित शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल एक कार्यकाल के रूप में गिना जाएगा।

अनुभाग 4. अगर इस चार्टर संशोधन के किसी अनुभाग, खंड, वाक्य, वाक्यांश या भाग को किसी न्यायालय या सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायाधिकरण द्वारा असंवैधानिक या अमान्य ठहराया जाता है, इस अनुच्छेद की शेष धाराएँ, खंड, वाक्य, वाक्यांश या भाग पूरी तरह से प्रभावी और लागू रहेंगे और इस उद्देश्य के लिए इस लेख के प्रावधान अलग किए जाने योग्य रहेंगे। इसके अलावा, मतदाता घोषणा करते हैं कि उन्होंने इस चार्टर संशोधन के असंवैधानिक या अमान्य माने गये सभी अनुभागों, खंडों, वाक्यों, वाक्यांशों या भागों के अलावा बाकी सभी अनुभागों, खंडों, वाक्यों, वाक्यांशों या भागों को पारित किया होता।



मतदाता अधिकार पत्र

आपके पास निम्नलिखित अधिकार हैं

1. यदि आप पंजीकृत मतदाता हैं, तो आपको मतदान करने का अधिकार है। आप मतदान करने के लिए पात्र हैं यदि आप:
 - ★ कैलिफोर्निया में रह रहे अमेरिका के निवासी हैं
 - ★ कम-से-कम 18 वर्ष के हैं
 - ★ वहाँ पंजीकृत हैं जहाँ आप वर्तमान में रहते हैं
 - ★ वर्तमान में किसी गुंडागर्दी के लिए राज्य या संघीय जेल अवधि की सजा नहीं काट रहे हैं, और
 - ★ आपको वर्तमान में किसी अदालत द्वारा मतदान करने के लिए मानसिक रूप से अक्षम नहीं पाया गया हो
2. मतदान करने का अधिकार यदि आप पंजीकृत मतदाता हैं, भले ही आपका नाम सूची में नहीं है। आप अंतिम मतपत्र का उपयोग करते हुए मतदान करेंगे। आपकी वोट को गिना जाएगा यदि चुनाव अधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि आप मतदान करने के लिए पात्र हैं।
3. मतदान करने का अधिकार यदि आप मतदान समाप्त होने के समय अभी भी लाइन में हों।
4. गुप्त मत देने का अधिकार किसी द्वारा आप को परेशान किए बिना या आपको यह बताए बिना कि मतदान कैसे करना है।
5. यदि आपने कोई गलती कर दी है तो नया मतपत्र प्राप्त करने का अधिकार, यदि आपने पहले ही अपने मत डाल न दिया हो। आप निम्नलिखित कर सकते हैं:
मतदान स्थल में किसी चुनाव अधिकारी से नया मतपत्र देने के लिए कहना,
अपने डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र को किसी चुनाव कार्यालय में, या अपने मतदान स्थल पर नए डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र से बदलना, या
अनंतिम मतपत्र का उपयोग करते हुए मतदान करना।
6. अपना मतदान करने के लिए अपने द्वारा चुने गए किसी भी व्यक्ति से सहायता प्राप्त करने का अधिकार, आपके नियोक्ता या यूनियन के प्रतिनिधि के सिवाए
7. अपना भरा हुआ डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र कैलिफोर्निया में किसी भी मतदान स्थल पर छोड़ने का अधिकार।
8. अंग्रेजी के सिवाए किसी अन्य भाषा में चुनाव सामग्री प्राप्त करने का अधिकार यदि आपके मतदान क्षेत्र में पर्याप्त व्यक्ति वह भाषा बोलते हैं।
9. चुनाव अधिकारियों से चुनाव प्रक्रियाओं के बारे में प्रश्न पूछने और चुनाव प्रक्रिया देखने का अधिकार। आप जिस व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं, यदि वह आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता, तो उसे किसी उत्तर के लिए आपको सही व्यक्ति के पास अवश्य भेजना चाहिए। यदि आप रुकावट डालते हैं, तो वह आपको उत्तर देना बंद कर सकता है।
10. किसी अवैध या धोखाधड़ी वाली चुनाव गतिविधि के बारे में किसी चुनाव अधिकारी या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कार्यालय को सूचित करने का अधिकार।

यदि आपको लगता है कि आपको इनमें से कोई अधिकार देने से मना किया गया है, तो कृपया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की गोपनीय टोल फ्री वोटर हॉटलाइन को (800) 345-VOTE (8683) पर फोन करें।

- 📞 वेब पर www.sos.ca.gov पर
- 📞 फोन द्वारा (800) 345-VOTE (8683) पर
- 📧 ईमेल द्वारा elections@sos.ca.gov पर



मतदाता पहुंचनीयता संबंधी जानकारी



अभिगम्यता और अन्य सहायक उपकरण
(800) 815-2666, विकल्प 4 (LA काउंटी हॉटलाइन)

LA काउंटी मतदान केंद्र व्हीलचेयर अभिगम्यता और/या कर्बसाइड मतदान प्रदान करते हैं। मतदान केंद्र के अंदर आपको अपने मतदान के अनुभव में सहायता के लिए उपकरण मिल सकते हैं।



ऑडियो रिकॉर्डिंग (213) 978-0444

आपकी सहायता के लिए सभी मतदान केंद्रों पर ऑडियो उपकरण उपलब्ध हैं।

इस पुस्तिका में शामिल गतिविधियों की ऑडियो रिकॉर्डिंग अंग्रेजी, अर्मेनियाई, चीनी (मंदारिन और कैंटोनीज़), फ़ारसी, हिंदी, जापानी, खमेर, कोरियाई, रूसी, स्पेनिश, तागालोग, थाई और वियतनामी में उपलब्ध हैं। ये रिकॉर्डिंग हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं: clerk.lacity.gov/elections/multilingual-services और निम्नलिखित स्थानों पर भी उपलब्ध हैं:

Braille Institute Library
741 North Vermont Avenue
Los Angeles, CA 90029
(323) 660-3880

Central Library
630 West 5th Street
Los Angeles, CA 90071
(213) 228-7000

ऑडियो रिकॉर्डिंग की एक कॉपी का अनुरोध मतदाता हमारे कार्यालय से कर सकते हैं:

Office of the City Clerk-Election Division
Attn: Audio Recordings
555 Ramirez Street, Space 300
Los Angeles, CA 90012



TTD फ़ोन नंबर (562) 462-2259

जिन मतदाताओं को सुनने में समस्या हो उनके लिए एक TTD फ़ोन नंबर प्रदान किया गया है।



भाषा संबंधित सहायता (213) 978-0444

सिटी मतदान की सामग्रियों को अर्मेनियाई, चीनी, फ़ारसी, हिंदी, जापानी, खमेर, कोरियाई, रूसी, स्पेनिश, तागालोग, थाई और वियतनामी भाषा में भी प्रदान करता है।



अपने पड़ोस के परिषद का नेतृत्व करें या उसमें शामिल हों

पड़ोस के परिषदें Los Angeles शहर के सरकार की जमीनी स्तर की शाखा हैं। आप:

- महत्वपूर्ण स्थानीय मुद्दों पर शहर के नेताओं को सलाह दे सकते हैं।
- शक्तिशाली पैरवीकारों जितना ही प्रभावी बन सकते हैं।
- सामुदायिक सुधार परियोजनाओं के लिए प्राथमिकताएँ निर्धारित कर सकते हैं।
- सेवाओं की निगरानी और सुधार करें जैसे: सड़क और फुटपाथ की मरम्मत, अपराध से लड़ना और यातायात का प्रबंधन।
- निर्धारित कर सकते हैं कि आपके पड़ोस के परिषदों को अपने वार्षिक परिचालन बजट का उपयोग कैसे करना चाहिए।

LA की 99 पड़ोस के परिषदें उन सभी की सेवा करते हैं जो रहते हैं, काम करते हैं, अध्ययन करते हैं, पूजा करते हैं, संपत्ति या व्यवसाय के मालिक हैं, या अपने समुदायों के भीतर स्थित सेवा संगठनों से संबंधित हैं।

और अधिक जानें

आगामी 2025 के पड़ोस परिषद चुनावों में अपने पड़ोस के परिषद ढूँढने और इसमें शामिल होने का तरीका जानने के लिए www.99NCs.com पर जायें।

अधिक जानकारी के लिए, आप ईमेल या फ़ोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं:

EmpowerLA@LAcity.org

(213) 978-1551 (सुबह 9:00 बजे - शाम 5:00 बजे / सोमवार-शुक्रवार)

Department of Neighborhood Empowerment

200 North Spring Street, Room 2005, Los Angeles, CA 90012

www.EmpowerLA.org



महत्वपूर्ण तिथियों की समयरेखा

10

अक्टूबर

20
24

रवि	सोम	मंग	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

अक्टूबर 7, 2024

- Los Angeles काउंटी के रजिस्ट्रार-रिकॉर्डर/काउंटी क्लर्क इस तिथि को या उससे पहले डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र भेजना शुरू कर देंगे।
- डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र ड्राप ऑफ बक्से खुल जाएंगे।

अक्टूबर 21, 2024

मतदान के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि (सशर्त मतदान के लिए उसी दिन मतदान पंजीकरण अभी भी उपलब्ध है)

11

नवंबर

20
24

रवि	सोम	मंग	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

नवंबर 5, 2024

चुनाव का दिन
मतदान केंद्र सुबह 7:00 बजे खुलेंगे और रात 8:00 बजे बंद होंगे।





OFFICE OF THE CITY CLERK
ELECTION DIVISION
555 RAMIREZ STREET
SPACE 300
LOS ANGELES, CA 90012

NON PROFIT ORG.
U.S. POSTAGE
PAID
CITY OF LOS ANGELES
ELECTION DIVISION

